पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 231/2024

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र लीलूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. राजबाला पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. सावत्री पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी महावीरसिंह व वकील प्रतिवादी वकील श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत ने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा 1जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 0 के मु0 न0 26 के किला न0 21 की 0.253है0 नहरी, मु0 न0 41 के किला न0 1/1 की 0.228है0 हरी किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 2/1 की 0.228है0 नहरी किला न0 /2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 9 की 0.253है0 नहरी, किला न0 10 की 0.253है0 कुल कबा 1.2650है0 जिसमें से नहरी 0.9620है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 संयुक्त मुस्तर्फा खातेदारी दर्ज ।। जिसमें वादी मुकेश कुमार कुमार का 601/6325 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 राजबाला का 24/253 हेस्सा प्रतिवादी सं0 2 सावत्री का 5124/6325 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

मुकेश कुमार पुत्र लीलूराम 601/6325 हिस्सा, राजबाला पत्नी लीलूराम 24/253 हिस्सा जाति जाट साकिन जनाणा खातेदारः– रोही मौजा 1जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 30 के मु0 न0 26 के किला न0 21/1 की 0.2402 है0 नहरी, किला न0 21/2 की 0.0128है0 प्रस्तावित रास्ता कुल रकबा 0.253है0 जिसमें नहरी 0.2402है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0128है0

सावित्री पत्नी जगदीश 5124/6325 हिस्सा जाति जाट साकिन जनाणा खातेदारः– रोही मौजा 1जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 30 के मु0 न0 41 के किला न0 1/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 2/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 2/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 9 व 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, कुल रकबा 1.012है0 जिसमें नहरी 0.962है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै0मु0 खाला रास्ता व किस्म भूमि को यथावत् रखते हुए यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.8.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:54:25 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़